महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विविध रूप : एक विवेचन

डॉ. नीता बाजपेयी *
https://orcid.org/ 0009-0002-9623-070X
डा आशीष नाथ सिंह *
https://orcid.org/0009- 0007-7108-4810

संक्षेप

महिलाओं के प्रति हिंसा एक वैश्विक परिघटना है जो न केवल लगभग सार्वभौम है बल्कि समसामयिक रुप से नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क के अत्यधिक उन्नत समाजों से लेकर रवाण्डा बुरूण्डी कांगो जायरे जैसे विकासशील और विकसित समाजो तक यह एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है । एक सनातन समस्या भी है अर्थात प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की समस्या बनी हुई है। पुनर्जागरण के पश्चात महिला अधिकारों के विस्तार के साथ महिलाओं के प्रति सम्मान में यद्यपि वृद्धि हुई है लेकिन महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या बनी हुई है। तकनीकी के विकास और प्रसार के साथ महिलाओं के प्रति हिंसा की रिपोर्टिंग और गणना में यद्यपि वृद्धि हुई है तथापि हिंसा में बहुत अधिक कमी दृष्टिगोचर नहीं है । महिलाओं के प्रति हिंसा के कुछ प्रतिरूप जैसे घरेलू हिंसा बलात्कार आदि प्राचीन काल से बने हुए हैं किंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार तथा तकनीकी के प्रभाव के कारण महिलाओं के प्रति हिंसा के नवीन रूप भी सामने आए हैं । साइबर अपराध,ऑनलाइन टीजिंग लैंगिक हिंसा के नए रूप हैं। हिंसक राजनीतिक आंदोलनो, गृह युद्धो, गुरिल्ला युद्धो, आतंकवाद जनित हिंसा मे महिलाओं को संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करना, विरोधी समूह की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार उनकी हत्या और उनको एक सामग्री के रूप में इस्तेमाल करना आदि सामयिक दुनिया मे महिलाओं के प्रति हिंसा के अन्य महत्वपूर्ण रूप हैं जिनसे महिलाओं की बहुत बड़ी आबादी प्रभावित होती है । शीत युद्ध काल और उसके बाद होने वाले क्षेत्रीय संघर्षों जैसे वियतनाम युद्ध ईरान इराक युद्ध और वर्तमान समय में चल रहे यूक्रेन युद्ध आदि में महिलाओं को आसान निशाना बनाया जाता है । विशेषकर उनके साथ बलात्कार की घटनाएं बहुत ही आम है जो कि बहुत ही जघन्य अपराध है । इस प्रकार महिलाओं के प्रति हिंसा के नवीन रूप सामने आए हैं जिनका विवेचन आवश्यक है ।

महत्वपूर्ण शब्दावली : आनर किलिंग, लैंगिक हिंसा, पितृसत्तावाद, महिलाओ के विरूद्ध हिंसा,मूल्य व्यवस्था ।

*सहायक प्राध्यापक समाज शास्त्र, राज्य सम्पर्क अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना छत्तीसगढ़ शासन
bajpaineeta@gmail-com
*सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान , शंकराचार्य कालेज , जुनवानी दुर्ग, छत्तीसगढ़ 74898 63649
ashishsingh2722@gmail-com

यद्यपि इन सभी में सबसे प्रमुख सामान्य कारण जो सनातन काल से लेकर के आधुनिक काल तक बना हुआ है वह है पितृसत्तावाद और पितृसत्तावाद से बनने वाली मूल्य व्यवस्था । पितृसत्तावादी मूल्य व्यवस्था के कारण ही युद्ध में महिलाओं को आसान निशाना बनाया जा सकता है और उनके साथ लैंगिक हिंसा की जाती है । इसी प्रकार घरेलू हिंसा के लगभग सभी रूप पितृसत्तावादी और पुरुषवादी सोच का परिणाम होते हैं । इसलिए लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए शिक्षा के प्रसार और सामाजिक मूल्य प्रणाली में पितृसत्तावादी प्रभाव की निरंतर कमी आवश्यक है। जनजातीय समाजों में और स्कैंडिनेविया के अत्यधिक आधुनिक समाजों में जहां लैंगिक हिंसा बहुत कम है वहां पितृसत्तावाद का प्रभाव भी बहुत कम है। पितृसत्तावाद का प्रभाव और उसके प्रसार को रोकना और आधुनिई शिक्षाका प्रसार करना लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 1993 मे महिलाओं के खिलाफ हिंसा को इसप्रकार परिभाषित किया

''लिंग आधारित हिंसा का कोई भी रूप जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन, या मानसिक नुकसान या पीड़ा होती है, जिसमें ऐसे कृत्यों की धमकियां, जबरदस्ती या स्वतंत्रता से मनमाने ढंग से वंचित करना शामिल है, चाहे वह सार्वजनिक या निजी जीवन में हो।''

(en observance 2020 un-org) इस परिभाषा के आधार पर वैश्विक अनुभव यह बताता है कि महिलाओं के प्रति हिंसा एक सार्वभौमिक तत्व है। महिलाओं के प्रति दुराग्रह और भेदभाव पूर्ण व्यवहार बल प्रयोग,हिंसा आदि संस्कृति क्षेत्र भाषा आदि के बंधन से मुक्त है अर्थात महिलाओं के प्रति हिंसा कमोबेश सभी क्षेत्रों संस्कृतियों में व्याप्त रही है । प्रत्येक देश काल परिस्थिति में, सभ्यता के हर दौर में महिलाओं के प्रति हिंसा या हिंसात्मक दृष्टिकोण वैचारिक और भौतिक दोनों रूपों से विद्यमान रहा है । अतः महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक सार्वभौमिक घटना है। प्रतिगामी सामाजिक संहिताएँ उन सभी जगह एक सामाजिक बाधा रही हैं जहां महिलाओं को राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक अधिकार देने की बात आई है । (जॉन, डी 2013) इस प्रकार महिलाओं के प्रति हिंसा कोई नवीन परिघटना नहीं है ।इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण रहा है पितृसत्तावादी मूल्यव्यवस्था। पितृसत्तावाद सार्वभौमिक घटना है। विश्व के प्रत्येक समाज और देश मे यह प्रधान सामाजिक विशेषता रही है । अतीत और वर्तमान के सभी समाज पितृसत्तात्मक मानदंडों के अनुसार संरचित हैं (लर्नर, 1986) । ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तावाद सर्वत्र व्याप्त दिखाई देता है। महिलाओं एवं बच्चियों के प्रति व्यवहार मे पुरूषवादी प्रभाव न केवल विद्यमान दिखायी देता है बल्कि मूल्य व्यवस्था का निर्माण ही पितृसत्तावादी यह पुरुषवादी सोच के अनुसार हुआ दिखायी देता है । इसमें प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के प्रति भेदभाव और हिंसात्मक विचार की प्रतिध्वनि सुनाई देती है ।

पिता रक्षित कौमार्य भर्ता रक्षति यौवने ।
पुत्रों रक्षित वार्धक्ये न स्त्री स्वातंत्र मर्हति ।।
(मनु स्मृति.9-3)

अर्थात पिता कौमार्य की पति यौवन की एवं पुत्र वृद्धावस्था की रक्षा करता है स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं होती यही । अन्य समाजो के विषय मे सुसान ने लिखा है कि – '' ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम जैसे विश्व धर्म शांति और शांति स्थापित करना सिखाते हैं लेकिन उनके अनुयायी अक्सर हिंसक होते हैं, चाहे वह युद्ध के मैदान में हो या घर में। शांति और अहिंसा, शांति–निर्माता होने, एक–दूसरे की देखभाल और चिंता करने की यीशु की

शिक्षाओं का अक्सर उल्लंघन किया जाता है ।'' (सूसान 2004 पृ 29) अखिल विश्व स्तर पर चाहे वह मलाला युसूफजयी हो या निर्भया महिलाओं के प्रति हिंसा का जो स्वरूप है वह सामाजिक अधिक है तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक कम । जैसे भ्रुण हत्या ऑनर किलिंग,टोनही, दहेज हत्या रिश्तेदारों द्वारा यौन शोषण बाल यौन दुराचार, पति की क्रूरता, कार्यस्थल पर यौन शोषण, बलपूर्वक किया गयाशिवाह, बाल विवाह, महिला नसबंदी, महिलाओं का खतना, छेड़खानी, पारिवारिक संपत्ति से बेदखल, आदि इन सभी प्रकार की हिंसाओं का स्वरूप सामाजिक ही है जबकि नियम कानूनी या कानून निर्माण कर इसे ठीक करने का प्रति करते हैं। इस पितृसत्तावाद के कारण ही दक्षिण एशिया को दुनिया में सबसे अधिक लैंगिक असंवेदनशील क्षेत्र के रूप में जाना जाता है ।(महबूब उल हक, 2001)

- दक्षिण एशिया दुनिया में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की सबसे अधिक घटनाओं में से एक है
- विश्व की 44 प्रतिशत अशिक्षित महिलाएँ दक्षिण एशियाई हैं ।
- पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कम अनुकूल है ।
- दक्षिण एशिया में अनुमानित 79 मिलियन ''लापता लड़कियां और महिलाएं'' हैं जो जीवित होतीं यदि लिंगानुपात वैश्विक मानदंड के अनुसार होता (महबूब उल हक, 2001)
- बड़ी संख्या में दक्षिण एशियाई लड़कियों को राष्ट्रीय सीमाओं के पार यौन बंधन में बेचा जा रहा है और अक्सर उनके अपने परिवार ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं ।

महिलाओं के प्रति हिंसा विविध रूप (विश्व स्वास्थ संगठन ने महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हिंसा के निम्नलिखित रूप बताए हैं । (विश्व स्वास्थ संगठन https://www-who-int/)

जन्म से पूर्व

- भ्रूण हत्या

शैशवावस्था

- देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि मे भेदभाव
- बाल विवाह
- बाल यौन शोषण
- बाल वेश्यावृत्ति

बाल्यावस्था

- छेड़छाड़
- बलात्कार
- कौटुम्बिक व्यभिचार
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
- जबरन वेश्यावृत्ति
- तस्करी

- विवाह पूर्व गर्भावस्था, गर्भपात से जुड़ी हिंसा, देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शैक्षणिक भेदभाव
- अपहरण युवा एवं वयस्क अवस्था
- घरेलू हिंसा
- वैवाहिक बलात्कार
- दहेज संबंधी दुर्व्यवहार और हत्या
- जबरदस्ती गर्भधारण
- मानव हत्या
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
- छेड़छाड़, यौन शोषण, बलात्कार
- परित्याग
  वृद्धावस्था
- बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार (पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करने वाले रूप)
- विधवाओं से दुर्व्यवहार
- यौन हिंसा की धमकी
- देखभाल, पोषण और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच का अभाव

वास्तव मे इसप्रकार का विभेदीकरण कभी पूर्ण नहीं माना जा सकता क्योंकि महिलाओं और बच्चों के प्रति हिंसा के इतने प्रकार हैं कि उनका संकलन बहुत ही मुश्किल है । जैसे आज के डिजिटल युग में महिलाओं के प्रति साइबर अपराध,ऑनलाइन टीजिंग लैंगिक हिंसा के नए रूप हैं । इसी प्रकार विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में चलने वाले हिंसक राजनीतिक आंदोलन, गृह युद्ध, गुरिल्ला युद्ध, आतंकवाद आदि से सर्वाधिक प्रभावित महिलाएं ही होती हैं । महिलाओं के प्रति युद्ध अपराध बहुत ही जघन्य होते हैं और इनका बहुत ही घिनौना इतिहास रहा है । अतः महिलाओं के प्रति हिंसा के अनगिनत रूप हैं तथापि जिस प्रकार की हिंसा से महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं उनका विश्लेषण समिचीन है ।

1 – घरेलू हिंसा

''विकासशील देशों में विशेष का दक्षिण एशियाई देशों में नारियों के प्रति हिंसा का यह सर्वाधिक बड़ा हिस्सा है अर्थात नारी और बच्चियों के प्रति किए जाने के लिए जाने वाली हिंसा में सर्वाधिक मात्रा घरेलू हिंसा की है और इसमें सबसे अधिक कष्टदायक एवं चिंताजनक बात यह है कि यह हिंसा के अन्य स्वरूपों की तुलना में सबसे अधिक सबसे कम इसकी रिपोर्टिंग होती है अर्थात इसके बारे में जानकारी सबसे कम होती है योजना आयोग के सर्वे के अनुसार घरेलू हिंसा का 2% से भी कम संज्ञान में आप आता है घरेलू हिंसा केवल भारत या दक्षिण शक का मामला नहीं है बल्कि यह भी एक वैश्विक परिघटना है और सार्वजनिक रूप से विद्यमान है या भविष्य की प्रतिशत आबादी समाजों में विशेषकर विकासशील और विकसित देशों में घरेलू हिंसा की मात्रा बहुत अधिक है विकसित समाज और विकसित देशों में नहीं है यह मानना भ्रामक है

घरेलू हिंसा क्या है?

''घरेलू हिंसा पीड़ित के घरेलू दायरे में किसी व्यक्ति द्वारा की गई हिंसा है। इसमें साझेदार और पूर्व साझेदार, तत्काल परिवार के सदस्य, अन्य रिश्तेदार और पारिवारिक मित्र शामिल हैं। 'घरेलू हिंसा' शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब अपराधी और पीड़ित के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। उनके बीच आमतौर पर शक्ति का अंतर होता है। पीड़ित अपराधी पर निर्भर है. घरेलू हिंसा शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक शोषण का रूप ले सकती है।'' (Netherlandhttps%//www-government-domestic&violence)

घरेलू हिंसा के रूप

बाल शोषण ;

वरिष्ठ दुर्व्यवहार ;

सम्मान–आधारित हिंसा जैसे सम्मान हत्याएं, महिला जननांग विकृति ('महिला खतना') और जबरन विवाहय

किसी अंतरंग साथी या पूर्व अंतरंग साथी द्वारा सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, जिसमें मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार और पीछा करना शामिल है। (तदैव)

केवल मारपीट को ही हिंसा में शामिल नहीं किया जाता बल्कि घरेलू हिंसा के और भी विविध रूप है

जबकि देश में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा 31-2% से घटकर 29-3% हो गई है, 18 से 49 वर्ष की उम्र के बीच की 30% महिलाओं ने 15 साल की उम्र से शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है, जबकि 6% ने अपने जीवनकाल में यौन हिंसा का अनुभव किया है, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा कर्नाटक में सबसे अधिक 48% है, इसके बाद बिहार, तेलंगाना, मणिपुर और तमिलनाडु हैं। लक्षद्वीप में घरेलू हिंसा सबसे कम 2-1% है। यह रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया द्वारा गुरुवार को जारी की गई थी। (इण्डियन एक्सप्रेस मई 2022)

इनमें से अधिकांश अब प्रकार अब घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अधीन विभिन्न धाराओं में संज्ञेय अपराध है। वैश्विक स्तर पर घरेलू हिंसा के आयाम भी अलग–अलग है विकासशील देशों में एवं अविकसित देशों में इनका स्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक अधिक है राजनीतिक व प्रशासनिक कम है जबकि अमेरिका कनाडा यूरोप सहित अधिकांश विकसित देशों में घरेलू हिंसा का स्वरूप मनोवैज्ञानिक अधिक है मारपीट की घटनाएं कम होती है जबकि हत्या बलात्कार जैसे गंभीर अपराध पश्चिमी समाज में अधिक देख जाते हैं । इसप्रकार किंतु घरेलू हिंसा एक सार्वभौमिक और वैश्विक परिघटना है।

2 – बलात्कार

यह नारी और बच्चों के प्रति की जाने वाली हिंसा का सर्वाधिक चर्चित रूप है दिल्ली के निर्भया कांड की घटना को कौन भूल सकता है । वैश्विक स्तर पर अफ्रीकी और एशियाई तथा लैटिन अमेरिकी देशों में इसकी मात्रा ज्यादा है । भारत में दिल्ली को तो रेप कैपिटल ही मीडिया द्वारा कहा जाने लगा है तथापि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब उड़ीसा तथा राजस्थान के आंकड़े भी बेहद भयावह है । नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में देश में कुल 23145 रेप के अपराध दर्ज किए गए इनमें भी कस्टडी में रेप के अपराध–89 पुलिस कस्टडी मे रेप –15 लोक सेवकों द्वारा रेप की संख्या–18 तथा जेल कस्टडी में किए जाने वाले की

संख्या – 45 से इसके अलावा हॉस्पिटल में किए जाने वाले स्टाफ द्वारा की जाने वाली रेप की संख्या 12 थी । इनमे सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 2953 मध्य प्रदेश 2133 राजस्थान मे छत्तीसगढ़ में 1172 थे । नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश में प्रतिदिन 86 घटनाएं बलात्कार की रिपोर्ट हो रही है और प्रति घंटे 46 घटनाएं महिला हिंसा की प्रति घंटे हो रही हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से एक बात स्पष्ट होती है कि अपेक्षाकृत पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय मिजोरम नागालैंड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा आदि में इनकी संख्या बहुत ही कम है इसी प्रकार अधिक साक्षरता वाले राज्य केरल और तमिलनाडु में भी इसकी मात्रा उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान की तुलना में बहुत ही कम है । इससे स्पष्ट होता है कि पितृसत्तात्मक सामाजिक स्वरंप वाले हिंदी भाषी समाजों में इसकी मात्रा अधिक है उसी की तुलना में अधिक साक्षरता वाले राज्यों की मात्रा कम है और वाले पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसकी मात्रा कम है इससे सीधा निष्कर्ष निकलता है कि बलात्कार जैसे घिनौने और जघन्य अपराधों का संबंध शिक्षा पितृसत्तावाद और भौतिक विकास से है ।

3 – अंतरंग साथी हिंसा और यौन हिंसा

विश्व स्वास्थ संगठन के अनुसार – ''अंतरंग साथी हिंसा एक अंतरंग साथी या पूर्व–साथी द्वारा किए गए व्यवहार को संदर्भित करती है जो शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान का कारण बनती है, जिसमें शारीरिक आक्रामकता, यौन जबरदस्ती, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार और नियंत्रित व्यवहार शामिल हैं।'' यौन हिंसा ''कोई भी यौन कृत्य, यौन कृत्य प्राप्त करने का प्रयास, या किसी भी सेटिंग में पीड़ित के साथ उनके संबंध की परवाह किए बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती का उपयोग करके किसी व्यक्ति की कामुकता के खिलाफ निर्देशित अन्य कार्य है। इसमें बलात्कार शामिल है, जिसे लिंग, शरीर के अन्य भाग या वस्तु के साथ योनी या गुदा में शारीरिक रूप से मजबूर या अन्यथा जबरन प्रवेश के रूप में परिभाषित किया गया है ।''(https://unwomen-org/)

महिलाओं के प्रति हिंसा का यह स्वरूप है जिसकी रिपोर्टिंग बहुत कम होती है क्योंकि प्रायः पति या अंतरण साथी द्वारा की जाती है । तथाकथित पश्चिम के सभ्य समाजों में भी इसकी मात्रा बहुत अधिक है । विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ''विश्व स्तर पर 3 में से 1 महिला अपने जीवनकाल में शारीरिक औरध्या यौन हिंसा का अनुभव करती है, ज्यादातर किसी अंतरंग साथी द्वारा। यह महिलाओं के प्रति लैंगिक असमानता और भेदभाव के पैमाने की स्पष्ट याद दिलाता है। '' (तदैव)

15–49 वर्ष की आयु की 29-1% महिलाएं अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार अवश्य अपने अंतरंग साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार होती हैं। (आईआईपीएस 2021)

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से पता चलता है कि 32% विवाहित महिलाओं (18–49 वर्ष) ने शारीरिक, यौन या भावनात्मक जीवनसाथी हिंसा का अनुभव किया है। पति–पत्नी की हिंसा का सबसे आम प्रकार शारीरिक हिंसा (28%) है, इसके बाद भावनात्मक हिंसा और यौन हिंसा आती है शहरी क्षेत्रों (24%) में अपने समकक्षों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (32%) में महिलाओं के बीच शारीरिक हिंसा का अनुभव अधिक आम है और स्कूली शिक्षा और धन में वृद्धि के साथ एक महिला के हिंसा के अनुभव में तेजी से गिरावट आती है – सर्वेक्षण में कहा गया है, बिना स्कूली शिक्षा वाली 40% महिलाएं शारीरिक हिंसा का शिकार होती हैं, जबकि स्कूली शिक्षा पूरी करने वाली 18% महिलाएं

शारीरिक हिंसा का शिकार होती हैं। शारीरिक हिंसा का अनुभव सबसे कम संपत्ति क्विंटल में 39% और उच्चतम संपत्ति क्विंटल में 17% के बीच है।महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा के 80% से अधिक मामलों में अपराधी पति ही होता है। (इण्डियन एक्सप्रेस तदैव)

4 – अनैच्छिक यौनाचार –

महिलाओं की इच्छा के बिना उनके पति या अंतरंग पार्टनर के द्वारा योन संबंध बलपूर्वक के स्थापित करने को बहुत लंबे समय तक तो सामाजिक दबाव के कारण न तो कोई अपराध माना जाता था न हीं हिंसा की श्रेणी में माना जाता था । लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और महिलाओं के अधिकारों के प्रसार के साथ ही इसे हिंसा का गंभीर स्वरूप माना गया, और अपराध की श्रेणी मे रखा गया है । इसे रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रयासों से जन जागरण के प्रयास किए गए और उसमें पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई। अधिकांश देशों में इसके लिए अब कानून उपलब्ध है अमेरिका में 1970 से कनाडा में 1983 में आयरलैंड मे 1991 जर्मनी ने 2019 में इंग्लैंड में 2003 में इसे अपराध घोषित किया गया भारत में यह डॉमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 3 के तहत अपराध माना गया है । कई अविकसित और विकासशील देशों में भी इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है रवांडा 2008 में एसएचओ ने 2010 में जिंबॉब्वे ने 2001 में नामीबिया ने 2000 में इसे अपराध घोषित किया ।

5 – यौन शोषण

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण – 5 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग एक–तिहाई महिलाओं ने शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है। (इण्डियन एक्सप्रेस 8 मई 2022)

महिलाओ के प्रति हिंसा का यह बहुत ही प्रचलित रूप है विशेषकर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण की घटनाएं बहुतायत में देखी गई हैं । इसका एक पक्ष यह भी है कि लोक लाज और सामाजिक लांछनों की वजह से इसकी रिपोर्टिंग बहुत कम हो पाती है विशेषकर एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में जहां पारिवारिक संरचना इस प्रकार की होती है जिसमें पुरुषों का दबदबा होता है जिसके कारण लोक लाज के भय से रिपोर्टिंग नही होती । किसी के द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव करने वाली केवल 14% महिलाओं ने ही इस मुद्दे को उठाया है। (इण्डियन एक्सप्रेस तदैव) कार्यस्थल पर यौन शोषण काफी अधिक है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में इसमे कमी आई है तथापि अभी भी उसके संख्या बहुत अधिक है । 2021 में भारत में 1023 से अधिक मामलों में से दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। मापी गई समय अवधि के दौरान इसके प्रमुख शहरों में, मुंबई और जयपुर देश में दूसरे स्थान पर रहे। (स्टैटिस्टा 2021)

6 – आनर किलिंग

ऑनर किलिंग के रूप में महिलाओं के प्रति हिंसा यह पितृसत्तावादी समाजों की मूल विशेषता है जहां घर की इज्जत या परिवार के मान सम्मान प्रतिष्ठा को महिलाओं के साथ जोड़ दिया जाता है और पुरुषों की इच्छा के बिना

उन्हें किसी के साथ प्रेम या विवाह करने की कोई आज्ञा नहीं होती और ऐसा करने पर परिवार के मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि मान कर उनके साथ उनके स्वयं के अपने लोग गंभीर हिंसा करते हैं यहां तक की हत्याएं भी कर दी जाती है । राजस्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा भारत में ऑनर किलिंग के लिए बहुत ही कुख्यात राज्य रहे हैं ,और वहां एक बेहद गंभीर समस्या बन गई है । किंतु ऐसा नहीं है कि यह केवल भारत की समस्या है यह एक वैश्विक समस्या है अफ्रीका दक्षिण अमेरिका और एशिया के विकासशील एवं विकसित देशों में जहां आज भी पितृसत्तावाद बाद बहुत मजबूत सामाजिक मूल्य के रूप में स्थापित है वहां आनर किलिंग की समस्या बहुत गम्भीर है ।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार प्रतिवर्ष अनुमानतः लगभग 5000 महिलाएं प्रतिवर्ष ऑनर किलिंग का शिकार होती हैं । लेकिन इसमें अत्यधिक चिंताजनक बात यह है कि हमें किलिंग की सर्वाधिक घटना विश्व में सर्वाधिक दक्षिण एशिया में होती हैं और दक्षिण एशिया मे भी सर्वाधिक घटना इंडिया और पाकिस्तान में होती है जो विश्व में होने वाली कुल ऑनर किलिंग की घटनाओं का लगभग 50% है । (ब्रिटैनिका / आनर किलिंग)

7– महिलाओं का खतना – FGM

अफ्रीका पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों के कुछ विशेष संप्रदायों में यह एक सामाजिक कुप्रथा है जिसके कारण महिलाओं और विशेषकर नाबालिग बच्चियों को बहुत ही अधिक यातना झेलनी पड़ती है । संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे एक मानवीय अपराध माना है तथा महिलाओं के प्रति हिंसा का एक बहुत ही प्रमुख प्रतिरूप माना है । फीमेल जेन्टाइल मल्टीलेशन ,इसे एफएमसी के नाम से जाना जाता है । यह एक वैश्विक परिघटना है । संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन जेनेवा में 1993 में इसे एक प्रमुख मानवाधिकार हनन के मुद्दे के रूप में अपनाया ''अनुमान है कि दुनिया भर में 200 मिलियन लड़कियों और महिलाओं को किसी न किसी रूप में महिला जननांग विकृति (एफजीएम) से गुजरना पड़ा है – जिनमें से कई 15 साल की उम्र से पहले हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में मान्यता प्राप्त होने के बावजूद, एफजीएम विभिन्न कारणों से जारी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कहां या कैसे किया जाता है, एफजीएम अत्यधिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाता है।'' (यूनिसेफ रिपोर्ट 2002)

विश्व की बहुत बड़ी महिला आबादी इससे पीड़ित है ।

''यद्यपि दुनिया भर में एफजीएम से गुजरने वाली लड़कियों और महिलाओं की सही संख्या अज्ञात है, तथापि 31 देशों की कम से कम 200 मिलियन लड़कियों और महिलाओं को यह भुगतना पड़ा । यूएनएफपीए का अनुमान है कि 2021 में हर साल 4 मिलियन से अधिक लड़कियों को एफजीएम का खतरा होता था ।अगले दशक मे दो मिलियन और जुड़ने का खतरा है । ''(यूनिसेफ रिपोर्ट 2002)

''भारत में इस प्रथा का प्रचलन –

एफजीएमध्सी, जिसे 'खतना या खफद' के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा किया जाता है, जो भारत में शिया मुसलमानों का एक उप–संप्रदाय है।

दाऊदी बोहरा समुदाय में 6–7 वर्ष की आयु की लड़कियों पर की जाने वाली प्रथा में क्लिटोरल हुड को आंशिक या पूर्ण रूप से हटाना शामिल है । चूंकि यह प्रथा मुख्य रूप से युवा लड़कियों पर की जाती है, एफजीएमध्सी न केवल महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा है, बल्कि बाल अधिकारों का भी मुद्दा है।'' (सै। देशपाण्डे 2022)

भारत में इसके निर्मूलन के लिए सिविल सोसायटी ने प्रयास किए है । एफजीएमध्सी को रोकने लिए '' मई 2017 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी जिसमें एफजीएमध्सी की प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और इस प्रथा को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। इसके बाद, कोई अंतरिम आदेश पारित किए बिना, मामला एक बड़ी संवैधानिक पीठ को भेज दिया गया, और अभी भी लंबित है। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दाऊदी बोहरा महिला संघ (डीबीडब्ल्यूआरएफ) सहित दाऊदी बोहरा समुदाय ने इस याचिका का विरोध किया है और यह तर्क देकर इस प्रथा की निरंतरता की रक्षा करने की मांग की है कि एफजीएमध्सी पर कानूनी प्रतिबंध भारत के संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।'' (तदैव)

इसके उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियां अनवरत कार्यरत हैं । ''अंतर्राष्ट्रीय कानून और एफजीएमध्सी 2012 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एफजीएमध्सी के उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों को तेज करने का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। एफजीएमध्सी की प्रथा कई अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों का भी उल्लंघन है, जिसमें बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (" सीआरसी ") भी शामिल है, जिसे भारत ने अनुमोदित किया है । अनुच्छेद 24(3) के तहत , सीआरसी राज्य पर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पारंपरिक प्रथाओं को खत्म करने के लिए सभी प्रभावी और उचित उपाय करने का दायित्व डालता है। इसके अतिरिक्त, एफजीएमध्सी सीआरसी के अनुच्छेद 3 का भी उल्लंघन करता है जो अन्य प्रावधानों के साथ–साथ 'बच्चे के सर्वोत्तम हित' नामक सिद्धांत को स्थापित करता है।'' (तदैव)

8 – महिलाओ के विरूद्ध युद्ध अपराध –

प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक होने वाले युद्धो की सबसे बड़ी भुक्तभोगी महिला ही रही है । यदि उसमें कोई सैनिक मारा जाता है तो उसकी विधवा और बच्चे निराश्रित हो जाते है और उनको आजीवन कष्ट सहना पड़ता है । इसके अतिरिक्त युद्ध में विजयी होने वाली सेना पराजित होने वाले समाज के साथ न केवल बहुत बुरा व्यवहार करती है बल्कि उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करना और लैंगिक हिंसा करना यह बहुत ही प्रचलित रहा है । प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध , द्वितीय विश्व युद्ध, वेतनाम युद्ध, ईरान इराक युद्ध ,बोस्निया संघर्ष, कोसोवो संघर्ष, अफ्रीका में होने वाले हिंसक संघर्षो सहित ऐसे हिंसक संघर्ष जिसमें बड़ी मात्रा में सैनिक कार्यवाहीयां हुई है इन सब में महिलाओं के विरुद्ध गंभीर युद्ध अपराध सामने आए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रहा है महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार तथा महिला समूह के साथ सैनिकों द्वारा किया जाने वाला बलात्कार है । इसलिए युद्ध अपराध का सबसे अधिक शिकार महिलाएं ही रही हैं ।

''द्वितीय विश्व युद्ध , जब मित्र देशों और धुरी राष्ट्रों दोनों सेनाओं ने दुश्मन नागरिक आबादी को आतंकित करने और दुश्मन सैनिकों का मनोबल गिराने के साधन के रूप में बलात्कार किया। सबसे बुरे उदाहरणों में से दो जापानी

सेना द्वारा जीते गए क्षेत्रों में महिलाओं की यौन दासता और रूसी सैनिकों द्वारा जर्मन महिलाओं के खिलाफ किए गए सामूहिक बलात्कार थे।'' (britania-com)

''20वीं सदी के उत्तरार्ध में, 20 से अधिक सैन्य और अर्धसैनिक संघर्षों में बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। 1990 के दशक में बलात्कार को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता थापूर्व में जातीय सफाया यूगोस्लाविया और नरसंहार के साधन के रूप मेंरवांडा । पहले मामले में, अधीनस्थ जातीय समूहों से संबंधित महिलाओं को जान बूझकर दुश्मन सैनिकों द्वारा बलात्कार के माध्यम से गर्भवती किया गया थाय बाद वाले मामले में, से संबंधित महिलाएं तुत्सी जातीय समूह द्वारा भर्ती और संगठित एचआईवी संक्रमित पुरुषों द्वारा व्यवस्थित रूप से बलात्कार किया गया थाहुतु के नेतृत्व वाली सरकार।''

''20वीं सदी के अंत में, आंशिक रूप से बाल्कन और रवांडा संघर्षों में बलात्कार की व्यापकता के कारण, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बलात्कार को एक हथियार और युद्ध की रणनीति के रूप में मान्यता देना शुरू कर दिया।'' (तदैव)

संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद ने युद्ध अपराध में लैंगिक हिंसा रोकने और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए हैं । ''अंतरराष्ट्रीय कानून . प्राथमिक कानून, अनुच्छेद 27 युद्ध के समय नागरिक व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित जिनेवा कन्वेंशन (1949) में पहले से ही महिलाओं को ''उनके सम्मान पर किसी भी हमले के खिलाफ, विशेष रूप से बलात्कार, जबरन वेश्यावृत्ति, या किसी भी प्रकार के अभद्र हमले के खिलाफ'' सुरक्षा देने वाली भाषा शामिल थीय इस सुरक्षा को 1977 में अपनाए गए एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल में बढ़ाया गया था । 1993 में संयुक्त राष्ट्र (यूएन)मानवाधिकार आयोग (2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित) ने व्यवस्थित बलात्कार और सैन्य यौन दासता को मानवता के खिलाफ अपराध घोषित किया और इसे महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन माना । 1995 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र के चौथे विश्व सम्मेलन में निर्दिष्ट किया गया कि युद्ध के दौरान सशस्त्र समूहों द्वारा बलात्कार एक युद्ध अपराध है । में संघर्षों में किए गए अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए स्थापित अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों का क्षेत्राधिकारपूर्व यूगोस्लाविया औररवांडा में दोनों में बलात्कार शामिल है, जिससे ये न्यायाधिकरण यौन हिंसा को युद्ध अपराध के रूप में मुकदमा चलाने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय निकायों में से एक बनाते हैं। '' (तदैव)

संदर्भ

1-https://blogs.lse.ac.uk/humanrights/2022/05/06/female-genital-mutilation-cutting-in-india-an-urgent-need-for-intervention/#_ftn1

2--https://www.britannica.com/topic/honor-killing

3--https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/india?pageNumber=1

4-https://www.government.nl/topics/domestic-violence/what-is-domestic-violence

5-https://indianexpress.com/article/india/30-women-in-india-subjected-to-physical-sexual-violence-nfhs-7906029/

6--अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) और आईसीएफ। 2021. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), 2019-21: भारत। मुंबई: आईआईपीएस.

7--जॉन, डी. (2013), 'भारत: महिलाओं के खिलाफ हिंसा। वर्तमान चुनौतियाँ और भविष्य के रुझान';

www.freiheit.org/India-Violence-Against-Women-Current-Challenges-and-Furute-Trends/1804c27055i/index.html

9-https://archive.org/download/ManuSmriti_201601/Manu-Smriti.pdf

10-- लेमर जी (1986) द क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की, न्यूयॉर्क और ऑक्सफ़ोर्ड: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

11 - महबुबुल एच (2001) दक्षिण एशिया में मानव विकास 2001: वैश्वीकरण और मानव विकास। ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटि प्रेस ।

12-https://www.statista.com/statistics/633412/reported-cases-women-harassmen-india/

13- Susan R (2004) Religion and Violence: The Suffering of women.Religion & Spirituality No. 61, pp. 29-35

14-https://www.un.org/en/observances/ending-violence-against-women-day

15--https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

16--https://www.unicef.org/stories/what-you-need-know-about-female-genital-mutilation#what-we-do